भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1552
13 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन

1552. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) परियोजनाओं के कार्यान्वयन से महाराष्ट्र में, विशेष रूप से जलगांव लोक सभा क्षेत्र में, किसानों को मूल्य वृद्धि और खेत द्वार लाभप्रदता के संदर्भ में किस प्रकार प्रत्यक्ष लाभ हुआ है;

(ख) विशेष रूप से महाराष्ट्र में प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में, पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण में स्थायी प्रथाओं को किस प्रकार बढ़ावा देता है;

(ग) क्या जलगांव जैसे क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए पीएमकेएसवाई के तहत कोई नई योजनाएं या घटक शुरू किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं या घटकों का ब्यौरा क्या है और किस प्रकार वे जलगांव सहित महाराष्ट्र को विशेष रूप से लाभान्वित करेंगे?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र कीअम्ब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई को लागू कर रहा है)। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ, आधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए उद्यमियों को ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान की जाती है, । खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना से अपशिष्ट में काफी कमी, बेहतर मूल्य प्राप्ति और बेहतर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की

आय बढ़ती है। महाराष्ट्र राज्य में, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, कुल 259 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 164 पूरी हो चुकी हैं/चालू हैं, जिससे **638478** किसान लाभान्वित हुए हैं। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में लाभान्वित किसानों की संख्या **अनुबंध-1** में दी गई है। जलगांव लोकसभा जिले के लिए लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध 2** में है ।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अवसंरचना के निर्माण, बिक्री आधारित प्रोत्साहनों के अनुदान, क्षमता विस्तार और अन्य सहायक उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जल और वायु के संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड/एजेंसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ) स्वीकृत परियोजनाओं को अनुदान सहायता/सब्सिडी की किस्त जारी करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को गैर-ओडीएस (गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थ) और निम्न जीडब्ल्यूपी (निम्न ग्लोबल वार्मिंग क्षमता) रेफ्रिजरेंट्स-आधारित ऊर्जा कुशल शीतलन प्रणालियों के उपयोग के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शीत श्रृंखला अवसंरचना की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

परियोजना के लिए नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, बायोमास, पवन, आदि) के लिए भी सहायता प्राप्त की जा सकती है (अधिकतम पात्र अनुमेय लागत प्रति परियोजना 35 लाख रुपये है)। देश भर से पात्र संस्थाएँ आवेदन कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान - तंजावुर ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पॉली लैक्टिक एसिड (पीएलए), स्टार्च, नैनो फाइबर आदि जैसे बायोपॉलिमर से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधान के विकास के माध्यम से टिकाऊ पैकेजिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विकसित करने के प्रयास किए हैं।

(ग) एवं (घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु "महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1552 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में लाभान्वित किसानों की संख्या:

क्र. सं.	योजना का नाम	अनुमोदित परियोजनाएँ	पूर्ण/प्रचालनरत	लाभान्वित किसानों की संख्या
		महाराष्ट्र		
1	**कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना का निर्माण**	13	5	26700
2	**बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण**	11	9	53445
3	**एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना**	78	57	544464
4	**खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार**	89	44	12119
5	**खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना- एफटीएल**	32	26	0
6	**मेगा फूड पार्क**	3	2	1750
7	**ऑपरेशन ग्रीन्स**	8	0	0
8	**मानव संसाधन एवं संस्थान (आर एंड डी)**	21	21	0
9	**मानव संसाधन और संस्थान कौशल**	4	0	0
	कुल	**259**	**164**	**638478**

अनुबंध- 2

दिनांक 13.02.2025 को उत्तर हेतु "महाराष्ट्र में पीएमकेएसवाई का कार्यान्वयन" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1552 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र के जलगांव जिले में लाभान्वित किसानों की संख्या :

क्र.सं.	**आवेदक का नाम**	**क्लस्टर/जिला**	**राज्य**	**लाभान्वित किसानों की संख्या**
खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना				
1	मेसर्स प्रतीक फूड्स	जलगांव	महाराष्ट्र	50
2	मेसर्स श्री नारायण एंटरप्राइजेज	जलगांव	महाराष्ट्र	100
	कुल			**150**

*****